न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 03/2015

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
श्री भूराराम गोदारा खाध सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर		1. भगवानदास पुत्र हेमनदास जाति सिन्धी निवासी गांधी पुरा बालोतरा (फर्म मुनिम) 2. हीरालाल पुत्र हेमनदास जाति सिन्धी निवासी श्मसान घाट का रास्ता बालोतरा (फर्म मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (V) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम,2006 व नियम 2011

उपस्थितः—1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम प्रार्थी की ओर से।
2. श्री रमेश मंगल अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय

दिनांक 30.5.2016

1- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 17.12.2014 को खाध सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा दौराने गश्त चैकिंग मैसर्स महा पार्वती सेल्स स्टोर बालोतरा पहुॅचने पर एक व्यक्ति बैठा मिला। जिसका नाम पता पूछने पर भगवानदास पुत्र हेमनदास जाति सिंधी निवासी गांधी पुरा बालोतरा (फर्म मुनिम) बताया। दुकान का निरीक्षण करने पर अन्य खाद्य सामग्री के साथ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (खुला) जो एक स्टील की टंकी में लगभग 15 लीटर भरा हुआ पाया, जिसे भगवानदास द्वारा आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (खुला) में मिलावट का संदेह होने पर उक्त तेल में से 1600 एम.एल. नपवा कर खरीदा जिसे चार कांच की साफ सुखी व खाली शीशीयों मे बराबर मात्रा में भरा जिसका भुगतान 112/—रूपये अप्रार्थी भगवानदास को किया गया। उक्त प्रत्येक शीशी में बराबर—बराबर मात्रा में भरकर प्रत्येक शीशी पर एयरटाईट ढक्कन लगाकर बंद किया गया तथा इसके उपर लेबल चिपकाया जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर गवाहो के हस्ताक्षर करवाये गये एंव पेपर स्लीप कोड एंव सिरियल नम्बर पी—419

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

चिपकाकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सीलबंद किया गया इसके उपर लेबल चिपका कर नमूने का विवरण अंकित किया। प्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित कर प्रार्थी व गवाह ने पेपर स्लीप को कॉस करते हुए हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 05 ए भरकर गवाह एंव प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये उपरोक्त कार्यवाही रूबरू गवाहों के की गई तथा चारो नमूनो को अपने कब्जे में लिया व मौके पर गवाह की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। सभी कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी–419 जॉच हेतु खाध सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने हेतु फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियो पर नमूना सील जिसका प्रयोग सेंपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया था, अंकित कर तैयार किया गया एंव एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटर कवर कर नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाध सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो के शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाध पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबिन तेल (खुला) नमूना पी–419 की जॉच रिपोर्ट एलएस/809/एक्ट/2014/828 दिनांक 29.12.2014 को अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,बाड़मेर को भेजी जिस पर जॉच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर नमूना जॉच में रिफाइण्ड सोयाबिन तेल (खुला) प्रतिबन्धित Contravenes regulation No. 2.3.15.1 (b) स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाध पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबिन तेल (खुला) का विक्रय करके खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (v) का उल्लंघन किया जाना पाये जाने के कारण प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर ने यह परिवाद निस्तारण हेतु पेश किया। खाध सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति,फार्म नम्बर 5 ए, नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

419 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन, फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2- परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश मंगल उपस्थित हुऐ।

3- हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। प्रार्थी सहायक लोक अभियोजक का यह तर्क है कि दिनांक 17.12.2014 को दौराने गश्त मैसर्स महा पार्वती सेल्स बालोतरा की दुकान में अन्य सामग्री के साथ–साथ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (खुला) जो एक स्टील की टंकी में लगभग 15 लीटर भरा हुआ पाया, जिसे भगवानदास द्वारा आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। उक्त तेल में मिलावट होने का संदेह होने पर नियमानुसार नमूना लिया गया। जॉच के दौरान रिफाइण्ड सोयाबिन तेल (खुला) प्रतिबन्धित Contravenes regulation No. 2.3.15.1 (b) स्तर का होना पाया गया, जो खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 52 का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थी पर जुर्माना आरोपित किया जाए।

4- अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि खाध सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण के यहॉ से तेल (खुला) की सेंपलिंग अप्रार्थीगण के रूबरू की गई एवं स्वतंत्र गवाहो के अभाव में प्रार्थी द्वारा की गई कार्यवाही गलत है, लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर जुर्म स्वेच्छा से स्वीकार कर रहा है, इसलिये प्रस्तुत परिवाद निरस्त फरमाया जावे।

5- हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाध विश्लेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/809 एक्ट/2014/828 दिनांक 29.12.2014 के अनुसार अप्राथीगण द्वारा विक्रये किये जा रहे खुले तेल में प्रतिबन्धित Contravenes regulation No. 2.3.15.1 (b) होना पाया गया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी प्रतीत होते है।

6- अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी भगवान दास एवं हीरालाल खाध सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(V) के तहत पाये गये प्रतिबंधित पदार्थ विक्रय करने के दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में प्रतिबंधित पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अतः खाध सुरक्षा एंव मानक

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (V) का उल्लंघन करने एंव अपराध कारित होने के फलस्वरूप एंव लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 52 में अभियुक्त भगवानदास व हीरालाल प्रत्येक पर राशि 5,000/– 5000/–(अक्षरे रूपये पांच–पांच हजार) शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 30.05.2016 से एक माह के अंदर– अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बाडमेर

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 30.05.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बाडमेर